



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231962
CG-DL-E-17122021-231962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708]
No. 708]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 73/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 867(अ).—जहां कि ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “कैल्साइंड जिप्सम पाउडर” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2520 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/45/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में

विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित मूल्य के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि उक्त अवतरण मूल्य कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट मूल्य से कम हो, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	संदर्भित मूल्य	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	ईरान	ईरान समेत कोई भी देश	नेगिन फ्लाट पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी लिमिटेड	82.73	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	ईरान	ईरान समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी	102.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	ईरान	कोई भी	102.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	ओमान	ओमान समेत कोई भी देश	कोई भी	117.84	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	ओमान	कोई भी	117.84	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	सऊदी अरब	सऊदी अरब समेत कोई भी देश	कोई भी	117.84	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी	117.84	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	यूएई	यूएई समेत कोई भी देश	कोई भी	117.84	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9	2520	कैल्साइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	यूएई	कोई भी	117.84	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए

(क) इस अवधिसूचना के उद्देश्य के वलए आयात के "लैंडेड वैल्यू" का अर्थ सीमा शुल्क अवधवनयम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा वनधाथररत वनधाथरणीय मूल्य है और इसमेंसीमा शुल्क टैररफ अवधवनयम, 1975 की धारा 3,9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शावमल हैं।

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/248/2021-टीओ (टीआरयू-I) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

No. 73/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 867(E).—Whereas, in the matter of “Calcined Gypsum Powder” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2520 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Iran, Oman, Saudi Arabia and United Arab Emirates(UAE) (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/45/2020-DGTR, dated the 27th September, 2021, has come to the conclusion that imposition of anti-dumping duty is required to offset the injury to the domestic industry caused by the dumped imports of subject goods from the subject country and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to difference between the landed value of the subject goods and the amount mentioned in the corresponding entry in column (7), provided the landed value is less than the value specified in column (7) , in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

Table

SN	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Reference Price	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Iran	Any country including Iran	Negin Falat Pars Industrial & Mining Co.	82.73	MT	USD
2	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Iran	Any country including Iran	Any other than serial no 1	102.66	MT	USD
3	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Any other than the subject countries	Iran	Any	102.66	MT	USD
4	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Oman	Any country including Oman	Any	117.84	MT	USD
5	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Any other than the subject countries	Oman	Any	117.84	MT	USD
6	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any	117.84	MT	USD
7	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Any other than the subject countries	Saudi Arabia	Any	117.84	MT	USD
8	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	UAE	Any country including UAE	Any	117.84	MT	USD
9	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Any other than the subject countries	UAE	Any	117.84	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification,

(a) “landed value” of imports for the purpose of this notification means the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975;

(b) rate of exchange applicable for the calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/248/2021-TO(TRU-1)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.